कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 133 / 12-1 नई टिहरी, दिनांक– 20/7/ 2023

सेवा में,

उप महा प्रबन्धक,
विन्धिया टेलिलिंक्स लि0,
हाऊस नं0–50, फेज–3, इजीनियरिंग एन्क्लेव,
G.M.S. रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड घनसाली में सेन्दुल–पीपलोधार–कोन्ती कुल लबाई 17.500 कि0मी0 तक मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.525 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विन्धिया टेलीलिंकस लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 का पत्र सं0–741/X–4–19/2(27)/2019, दिनांक–09–09–2019 एवं आपका पत्रांक– VTLEPC/TEL/UK/55, दिनांकः–14–07–2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 द्वारा जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड घनसाली में सेन्दुल–पीपलोधार–कोन्ती कुल लबाई 17.500 कि0मी0 तक मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.525 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विन्धिया टेलीलिंकस लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–04 के अनुपालनार्थ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने उक्त पत्र से वर्तमान दरों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव हेतु धनराशि का आंकलन कर मांग पत्र हेतु अनुरोध किया गया है। धनराशि का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:–

<u>100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु धनराशि का आंकलन</u>

1– वृक्षारोपण हेतु वृक्षों की संख्या– 100 वृक्ष
2– वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित दर प्रति वृक्ष – 1771.00
3– 100 वृक्षों के रोपण हेतु आंकलित धनराशि – 100 वृक्ष X 1771.00 = 1,77,100.00
(एक लाख सतहत्तर हजार एक सौ रूपये मात्र)

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव हेतु निर्धारित धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0–1,77,100.00 (एक लाख सतहत्तर हजार एक सौ रूपये मात्र) वन विभाग के पक्ष में वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किया जायेगा। अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।

अतः वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी